न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 58/2007
सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला—जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम फतेहपुरा वास वाटिका, तहसील—चाकसू, जिला—जयपुर (मृतक)।
   - 1/1 सूजा देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम फतेहपुरा, तहसील—चाकसू।
   - 1/2 हनुमान पुत्र स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम फतेहपुरा, तहसील—चाकसू।
   - 1/3 कैलाश पुत्र स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम फतेहपुरा, तहसील—चाकसू।
   - 1/4 काना पुत्र स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम फतेहपुरा, तहसील—चाकसू।
   - 1/5 बजरंगलाल पुत्र स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम फतेहपुरा, तहसील—चाकसू।
   - 1/6 भूरी पुत्री स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम हिंगोटी, तहसील—चाकसू।
   - 1/7 भुली पुत्री स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम हीरावाला, तहसील—बस्सी।
   - 1/8 सुप्यार पुत्री स्व0 श्री सुन्दरा, जाति—अहीर, निवासी—ग्राम हीरावाला, तहसील—बस्सी।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू—राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :—
1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित।
   अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 31.01.2019

तहसीलदार, चाकसू द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (चकबंदी) सम्वत् 2004—2023 में ग्राम फतेहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 06 बीधा 03 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर—मुमकिन तलाई दर्ज है, एकीकरण सम्वत् 2022 के फलस्वरूप खसरा नम्बर परिवर्तन होकर आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 06 बीधा 01 बिस्वा बने जिसमें से 03

Scanned by CamScanner

बिस्वा आराजी उप खण्ड अधिकारी, जयपुर ने आज्ञा दिनांक 26.11.1988 द्वारा सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, कौम अहीर के हक में दिनांक 26.11.1988 को कुएँ हेतु नियमन की है जिसके परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में गैर–खातेदारी सुन्दरा के नाम हाल खसरा नम्बर 479/1601 रकबा 0.0400 हे0 इन्द्राज दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर–मुमकीन तलाई आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन तलाई दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम फतेहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 06 बीधा 03 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है, एकीकरण सम्वत् 2022 के फलस्वरूप खसरा नम्बर परिवर्तन होकर आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 06 बीधा 01 बिस्वा बने जिसमें से 03 बिस्वा आराजी उप खण्ड अधिकारी, जयपुर ने आज्ञा दिनांक 26.11.1988 द्वारा सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, कौम अहीर के हक में दिनांक 26.11.1988 को कुएँ हेतु नियमन की है जिसके परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में गैर–खातेदारी सुन्दरा के नाम हाल खसरा नम्बर 479/1601 रकबा 0.0400 हे0 इन्द्राज दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी में से 3 बिस्वा का नियमन किया गया हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन/आवंटित की गई है जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में यह आराजी गैर–मुमकिन तलाई व जमाबन्दी एकीकरण सम्वत्

Scanned by CamScanner

2022 में राजकीय भूमि का खाता में जलोड भूमि किस्म भूमि गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 26.11.1988 को राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएँ खोदने एवं पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन तलाई की आराजी को दि0 26.11.1988 को सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–अहीर को नियमन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध नियमन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के विद्वान् अभिभाषक श्री जगदीश प्रसाद शर्मा का कथन है कि वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 749/1601 रकबा .004 हे0 है ओर गत खसरा नम्बर 92 है। खसरा नम्बर 92 में से 03 बिस्वा सक्षम प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 26.11.1988 को न्यायिक आदेश पारित कर सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ को नियमन करते हुए आवंटन किया गया है। आवंटी सुन्दरा ने वादग्रस्त आराजी की नियमों में वांछित भूमि की कीमत राशि रू0 750/– राजकोष में जमा कराई है। वैध रूप से आवंटन की गई आराजी के संबध में रामगोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण अहीर ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो दिनांक 11.06.1990 को खारिज हुई है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 11.06.1990 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.01.1994 स्वीकार की गई है परन्तु आवंटी सुन्दरा द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पूर्व के निर्णय दिनांक 15.01.1994 को निर्णय दिनांक 03.05.1994 द्वारा संशोधित करते हुए सुन्दरा के हक में किये गये नियमन को वैध ठहराया है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक

Scanned by CamScanner

03.05.1994 के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन नही है। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है। इस प्रकार अब रेफरेन्स सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार शेष नही रहा है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एक दीर्ध अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य न होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम फतेहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 06 बीधा 03 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है, एकीकरण सम्वत् 2022 के फलस्वरूप खसरा नम्बर परिवर्तन होकर आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 06 बीधा 01 बिस्वा बने जिसमें से 03 बिस्वा आराजी उप खण्ड अधिकारी, जयपुर ने आज्ञा दिनांक 26.11.1988 द्वारा सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, कौम अहीर के हक में दिनांक 26.11.1988 को कुऍं हेतु नियमन की है जिसके परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में गैर–खातेदारी सुन्दरा के नाम हाल खसरा नम्बर 479/1601 रकबा 0.0400 हे0 इन्द्राज दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर–मुमकिन तलाई आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 26.11.1988 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन तलाई दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी का नियमन सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–अहीर को दिनांक 26.11.1988 को किया गया है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में निजी गैर–खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन तलाई की भूमि की निजी गैर–खातेदारी/खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन तलाई भूमि का नियमन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य

Scanned by CamScanner

आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन तलाई भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत गैर–खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी सुन्दरा को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई सुसंगत दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएँ खोदने एवं पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन तलाई की आराजी को दि0 26.11.1988 को सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–अहीर को नियमन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी में से 03 बिस्वा वाके ग्राम–फतेहपुरा नियमन दिनांक 26.11.1988 बहक सुन्दरा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–अहीर को निरस्त करने एवं इस नियमन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन तलाई दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान

Scanned by CamScanner

काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 26.03.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.01.2019 को सुनाया गया।

31.1.19

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner